ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

वर्तमान समय में दिव्यांगों (मूक-बधिर) के पुनर्वासन की समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]दीपिका और [2]डॉ. अजय कुमार दुबे

[1]शोध छात्रा, शिक्षक शिक्षा विभाग, (बी. एड.) तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

[2]प्रोफ़ेसर, बी. एड. विभाग , तिलकधारी महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सार

डीडीआरएस दिव्यांग योजना विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में मदद करते हैं, जिसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल का विकास और प्रशिक्षण शामिल है। शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना और उनकी क्षमता को अधिकतम करना है। प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, इस उद्देष्य से निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत जीवन-यापन हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत निराश्रित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया दिव्यांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशालायें टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल में संचालित हैं. इन कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को मोमबत्ती, साबुन, हथकरघा, स्वेटर, शाल आदि बनाने/बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2008-09 से कम्पयूटर व्यवसाय संचालित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

परिचय

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया।

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि निःशक्तता, वाक् निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, अस्थि निःशक्तता, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।[1]

विभाग अपने विद्यालयों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग, साक्षरता स्तर से संबंधित दिव्यांग छात्र/छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। छात्र/छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास, ब्रेल प्रेस की स्थापना एवं संचालन के साथ-साथ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न श्रेणी की निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांग छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सहायता प्रदत्त करना है।[2]

विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जैसे कि-

- निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, अनुदान, पेंशन, सहायता तथा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण आदि।
- इसके अलावा, विभिन्न प्रोत्साहनों जैसे कि दिव्यांगजन से विवाह करने पर, दिव्यांग / दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों / संस्थानों के लिए राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय पुरस्कार व कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसबिलिटी (सी0 एस0 आर0) की पहल के उपयोग से अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित उक्त दायित्वों को पूर्ण करने हेतु तत्पर है।[3]
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाओं के माध्यम से यथा: दुकान निर्माण संचालन योजना द्वारा , विभिन्न राज्य / राज्योत्तर सेवाओं में आरक्षण / छूट द्वारा दिव्यांगजन के सर्वांगींण विकास एवं उन्नयन हेतु सदैव प्रयासरत है।
- दिव्यांगजन हेतु सुगम्य आवागमन के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण, शल्य चिकित्सा द्वारा दिव्यांगजन के जीवन मानकों का उच्चीकरण तथा जीवन की गुणवत्ता का विकास एवं भागीदारी सुनिश्चित कराना है।[4]

विभाग ने सक्रिय रूप से विभिन्न हितधारकों, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सुझाव, अनुभव, अपेक्षाओं को समाहित करते हुए एक अधिक न्यायसंगत, प्रगतिशील निर्णय प्रणाली व दिव्यांगजन की विशिष्ठ परिस्थितियों के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु तत्पर है जिससे एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सके।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व[5]

- दिव्यांगजनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन
- आयोजनागत एवं आयोजनेतर योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों के विकास संबंधी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- दिव्यांगजन विकास के संबंध में राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय।
- दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय।
- सेवाओं में दिव्यांगजनों का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
- दिव्यांगजनों के लिये सहायक उपकरणों का प्रबन्ध।
- दिव्यांगजनों के लिये विशेष तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- गैर सरकारी संस्थाओं/माता-पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिव्यांगजनों के विकास संबंधी प्रशिक्षण।[6]
- गैर सरकारी संस्थाओं को दिव्यांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य करने हेतु सहायता एवं सहयोग।
- राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से दिव्यांग जन विकास के लिये सहयोग प्राप्त करना।
- दिव्यांगों से संबंधित योजनाएं आय-व्ययक अनुमान तथा अन्य प्रशासनिक मामले।[7]

दिव्यांगजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य-पोषित-योजनाएं

निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण हेतु अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना

पात्रता व शर्ते

- ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो और न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
- उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं वास्तव में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे है।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।
- लाभार्थियों की पात्रता के संबंध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।[8]

आय

गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे। (अनुदान प्राप्त करने के लिए जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।)

अनुदान की दर

इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर रू0 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह होगी जो कि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध[9]

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार होंगे-

- नवीन अवेदको को अनुदान की धनराशि का भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के अनुसार देय होगा तथा लाभार्थी को पूर्व की बकाया (एरियर) धनराशि देय नहीं होगी।
- अनुदान-ग्रहीता की मृत्यु होने अथवा अपात्रता की श्रेणी में आने की संगत किश्त के बाद अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा।
- यदि कोई व्यक्ति फर्जी अभिलेख गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह पब्लिक मनी (रिकवरी आफ ड्यूज) ऐक्ट, 1965 की धारा-3 की उपधारा (ए) (11) के अन्तर्गत की जायेगी ।[10]

इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।
आवेदन पत्र
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से पर भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
भुगतान की प्रक्रिया
ई-पेमेन्ट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।[11]
कुष्ठावस्था पेंशन योजना

पात्रता व शर्ते

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त न हो।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन से तात्पर्य ऐसे सभी व्याक्तियों से है, जिनमें कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता उत्पन्न हुयी हो (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) तथा जिसे उत्तर प्रदेश के संबंधित जनपद के मुख्य जिकित्साधिकारी से तत्संबंधी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो।
- जो कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता पाने वाला व्यक्ति इस पेंशन/अनुदान के लिये पात्र नही होंगे।
- आय उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी0पी0एल0 आय सीमा निर्धारित होगी।
- आयु कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों, पेशन/अनुदान हेतु पात्र होगें।
- दर इस योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू0 2500/- प्रति माह होगी। इसके लिये शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित दर मान्य होगी।[12]

उपर्युक्त पात्रता की शर्तो में किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
आवेदन पत्र
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से भरा जा सकता है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
भुगतान की प्रक्रिया लाभार्थी को धनराशि का भुगतान ई-पेमेन्ट से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना
उद्देश्य एवं प्रयोजन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करना है जिनकी (नियोजित या स्वरोजगार की दशा में) या जिनके परिवार की (आश्रित की दशा में) समस्त स्रोतों से वार्षिक आय गरीबी की रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो, अर्थात् वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित आय अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुरूप।
अनुदान की दर
इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग जन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण इत्यादि खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान की अधिकतम धनराशि प्रति लाभार्थी रू0 8000/- अनुमन्य होगी, अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित दर अनुमन्य होगी।[13]
पात्रता व शर्ते

- किसी भी आयु वर्ग के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
- ऐसे दिव्यांगजन जिनमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई हो। मानसिक मंदिता की स्थिति में किसी व्यक्ति के चित की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से वृद्धि की असामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु आवश्यक कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु चिकित्साधिकारी द्वारा संस्तुति की गयी हो।

- ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें समान प्रयोजन/उपकरण के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय से पिछले तीन वर्षो के दौरान लाभान्वित नही किया गया हो, तथापि किसी शैक्षिक संस्थान के नियमित छात्रों के लिए यह सीमा एक वर्ष के लिए होगी।[14]

आय
गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुरूप। अनुदान प्राप्त करने हेतु मा0 सांसद, मा0 विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
उपकरणों का विवरण
योजनान्तर्गत दिव्यांगजन को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप निम्न प्रकार के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जा सकते है

- गतिशीलता सहायक यन्त्र जैसे - ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सी.पी. चेयर, क्रचेज, वाकिंग स्टीक और वाकिंग फ्रेमध्रोलेटर्स।
- दृष्टि बाधित दिव्यांगता से ग्रस्त छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण उपकरण जैसे अंकगणितीय फ्रेम, एबाकस, ज्यामितिय किट्स अथवा ब्रेल एजूकेशनल किट्स।
- दृष्टि बाधित दिव्यांगजन के लिए ब्लाइन्ड स्टिक।
- श्रवण बाधित दिव्यांगजन हेतु विभिन्न प्रकार के श्रवण-सहायक यन्त्र तथा शैक्षणिक किट।
- मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों एवं विद्यार्थियों हेतु एम.एस.आई.डी. किट (मल्टी-सेन्सरी ऐजूकेशन डेवलपमेंट किट)
- कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के दैनिक क्रियाकलापों सम्बन्धी किट (ए0डी0एल0 किट)
- बहुदिव्यांगता की दशा में अथवा जिन दिव्यांगजन को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है उनके लिए एक बार में अधिकतम रू0 8000/- तक की वित्तीय अनुदान स्वीकृत की जायेगी।[15]

अनुदान की प्रक्रिया एवं प्रतिबन्ध

- निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को सूचीबद्ध कर उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष आवेदकों को वित्तीय अनुदान दिये जाने में प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकृति करेंगे।
- योजना अन्तर्गत यदि किसी आवेदन-पत्र को निरस्त किया जाता है तो ऐसे आवेदकों की सूची निरस्त करने के स्पष्ट कारण सहित तैयार कर अनुरक्षित रखी जायेगी।
- इस नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विवादास्पद विषय पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।[16]

आवेदन की प्रक्रिया
दिव्यांगजन जन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
उपकरण वितरण की प्रक्रिया
जनपदों में शिविर के माध्यम से लाभार्थियों को सहायक उपकरण (प्रथम आवक एवं प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर) वितरित किये जायेगें।
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पात्रता व शर्ते

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
- ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

- दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दिव्यांगजन जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
- दिव्यांगजन के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
- दिव्यांगजन द्वारा 05 वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूँजी)[17]

दुकान निर्माण/क्रय/किराये पर लिये जाने के लिए स्थल का चयन
नगरीय क्षेत्र
ऐसा स्थान जहाँ पर व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
ग्रामीण क्षेत्र
ऐसा स्थान जहाँ आवगमन की आसान सुविधा हो एवं व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
आय
दिव्यांगजन जन जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।
दर

- दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/- एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है।
- रू0 20,000/- में रू0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसी प्रकार रू0 10,000/- में रू0 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।[18]

इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजन जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
भुगतान की प्रक्रिया
आवेदन-पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
ऋण की वसूली

- दुकान निर्माण हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 250/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।[19]

दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना

पात्रता व शर्ते

- 40 प्रतिशत या उससे अधिक (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

- समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
- ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- दिव्यांग मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दिव्यांगजन जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हो तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
- दिव्यांगजन के पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
- दिव्यांगजन द्वारा 05 वर्ष की अवधि का किरायेदारी का पट्टा कराया जाये उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु (किराया एवं कार्यशील पूजी)[20]

दुकान निर्माण/क्रय/किराये पर लिये जाने के लिए स्थल का चयन
नगरीय क्षेत्र - ऐसा स्थान जहाँ पर व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूर्ण सम्भावना हो।
ग्रामीण क्षेत्र - ऐसा स्थान जहाँ आवगमन की आसान सुविधा हो एवं व्यापार अथवा व्यवसाय चलने की पूरण सम्भावना हो।
आय
दिव्यांगजन जन जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।
दर

- दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/- एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है।
- रू0 20,000/- में रू0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- इसी प्रकार रू0 10,000/- में रू0 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदन पत्र
इस योजना अन्तर्गत दिव्यांगजन जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा ई-आवेदन की अद्यतन् स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
भुगतान की प्रक्रिया
आवेदन-पत्र प्रथम आवक तथा प्रथम पावक के सिद्धान्त के आधार पर ही नियमानुसार स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
ऋण की वसूली[22]

- दुकान निर्माण हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, ऋण व अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान के एक वर्ष बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 500/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली, भुगतान के तीन माह बाद रू0 250/- प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से तीस समान किश्तों में की जायेगी।
- दुकान के निर्माण/खोखा, गुमटी, हाथ ठेला क्रय हेतु स्वीकृत मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की धनराशि वसूल की जायेगी। यह वसूली 24 समान मासिक किश्तों में की जायेगी। लाभार्थी ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि को एक मुश्त भी अदा कर सकता है।

निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान

निःशक्तता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु एक वर्ष में रू. 8000/- प्रति लाभार्थी को प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।
योजना की श्रेणी- व्यक्तिगत
योजना से प्राप्त होने वाला लाभ

- विभिन्न प्रकार की निःशक्तताओं को यथा सम्भव कम करने के लिये आवश्यक करेक्टिव सर्जरी कराके दिव्यांगजन को सामान्य जीवन जीने लायक बनाया जाता है।
- शल्य चिकित्सा हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10,000/- प्रति व्यक्ति की सीमा तक इलाज के खर्च की भरपाई के लिये धनराशि संबंधित राजकीय चिकित्सालय को लाभार्थी की चिकित्सा के लिये प्रदान की जाती है।[23]

योजना से लाभ प्राप्त किए जाने की पात्रता

- ऐसे दिव्यांग जन जिनका तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 6000/- से अधिक न हो।
- भारत वर्ष का नागरिक हो।
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी अथवा कम से कम 05 वर्ष से उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो।
- किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।

लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो और उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यदि वेबसाइट पर उपलब्ध हो, तो उसका पता संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय दिव्यांग कल्याण, उत्तर प्रदेश से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की विभागीय वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
अनुदान के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?[24]
संबंधित जिले के जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से
लाभ प्राप्त करने में आने वाली समस्या का किस स्तर पर हल होगा?
सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
निदेशक दिव्यांग कल्याण, 10वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ (दूरभाष संख्या : 0522-2287267, 0522-2286188)
दिव्यांगजन को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की योजना

परिभाषा
इस योजना के अन्तर्गत जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हों।

- बसों में ऐसी साधारण बसें अभिप्रेत होंगी जो निगम द्वारा उसके अधीन उ0प्र0 की सीमा के अन्दर एवं प्रदेश की सीमा के बाहर विभिन्न मार्गो पर चलाई जाती हो। वायुशीतित, शयनयान, वातानुकूलित तथा वीडियोयुक्त बसों पर यह सुविधा लागू नहीं होंगी।[25]

निगम उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत होगा।
राज्य से उ0प्र0 अभिप्रेत होगा।

- दिव्यांगजन को उ0प्र0 निःशुल्क यात्रा सुविधा उ0प्र0 सड़क परिवहन निगम की बसों से भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिये यात्रा करने पर दी जायेगी।
- यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांग व्यक्ति मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत कर यात्रा प्रारम्भ कर सकेगा।

- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाणपत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने दिव्यांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के साथ मांग पत्र दिये जाने पर अनुमन्य धनराशि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।

(1) यात्रा की सुविधा केवल मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के आधार पर ही दिव्यांगजन को ही दी जायेगी।
(2) यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं दिव्यांगजन को देय होगीं जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक में आते हों
जो पूर्ण रूप से अंधे हो या अल्पदृष्टि (लो विज़न) हों (दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)।
जो पूर्ण रूप मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)।

- जिनके एक हाथ व पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों।
- जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों।
- जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हों। (दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)
- जो लेप्रोसी मुक्त दिव्यांग हों।[26]

- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये गये दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में यदि कोई दिव्यांग गम्भीर दिव्यांगता से ग्रसित है। अर्थात यदि व 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उस दिव्यांग के एक सहयोगी को दिव्यांग की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- परिवहन निगम की बसों से दिव्यांग को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।
- नगर बस सेवा में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, यदि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम सेवा संचालित करते हों।
- नियम 7 (2) के अंतर्गत उल्लिखित दिव्यांगजन को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।
- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये संबंधित विभाग के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र का प्रयोग यात्रा सुविधा हेतु किया जायेगा।
- दिव्यांग द्वारा यात्रा करने पर परिवहन निगम का बस कंडक्टर दिव्यांग को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र देखने के पश्चात गंतव्य स्थान तक यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायेगा। इस यात्रा का लेखा-जोखा यथासमय परिवहन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उक्त निःशुल्क यात्रा के लिये जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पर पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर व मोहर का अंकन किया जाना अनिवार्य नही होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अपने यहाँ एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें ऐसे दिव्यांगजन का उल्लेख होगा जो परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने हेतु पात्र हैं।
- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम प्रत्येक तीन माह पर लेखा विवरण तथा यात्रा करने वाले दिव्यांगजन की संख्या संबंधी विवरण निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को उपलब्ध करायेगे।
- दिव्यांगता की जो परिभाषा यात्रा के लिये दी गई है, उस श्रेणी में आने के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित दिव्यांग अपने जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- इस यात्रा हेतु संबंधित दिव्यांग तथा उसके सहयोगी को यात्रीकर का भुगतान नही करना होगा।[27]

दिव्यांगजन के सशक्तिकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार

प्रदेश के दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/स्वत: रोजगारत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांगजन के सेवायोजकों एवं उत्कृष्ट प्लेसमेंट अधिकारियों, दिव्यांगजन के हितार्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रति वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

योजना से प्राप्त होने वाला लाभ

निःशक्तता के बावजूद उत्कृष्ट कार्य करने, स्वरोजगार करने वाले दिव्यांग जन एवं ऐसे सेवायोजक जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को सेवारत किया हो, सहायक प्लेसमेंट अधिकारी जिन्होने दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का कार्य किया हो अथवा ऐसी स्वैच्छिक संस्थाये जिन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को सम्पन्न किया हो को पुरस्कृत कर योजनाओं के क्रियान्वयन/कार्यक्षेत्र में नये आयामों को प्राप्त करने तथा गतिशीलता प्रदान करना।

पुरस्कार के रूप में एक शील्ड, मान पत्र एवं रू0 25000/- का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

योजना से लाभ प्राप्त किए जाने की पात्रता[28]

- निःशक्तता के बावजूद उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी/स्वरोजगार करने वाले दिव्यांग जन एवं ऐसे सेवायोजक जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को सेवारत किया हो, सहायक प्लेसमेन्ट अधिकारी जिन्होने दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का कार्य किया हो अथवा ऐसी स्वैच्छिक संस्थायें/व्यक्ति विशेष जिन्होने निःशक्तता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो को सम्पन्न किया हो इस पुरस्कार की पात्रता के अन्तर्गत आते है।
- ऐसे पात्र व्यक्ति/संगठन/विभाग/स्वायतशासी निकाय को पुरस्कार प्रदान करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति अनिवार्य है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो और उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यदि वेबसाइट पर उपलब्ध हो, तो उसका पता

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

- निर्धारित फार्म संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय दिव्यांग जनसशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- निर्धारित फार्म दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाईट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?[29]

संबंधित जनपद के जिला दिव्यांग जनसशक्तिकरण अधिकारी

डिस्लेक्सिया व अटेन्शन डैफसिट एंड हाईपर एक्टिविटी सिंड्रोम से प्रभावित बच्चो की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन करने का कार्य किया जाता है।

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता[30]

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु मानसिक दिव्यांगता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि निश्चित स्तर की मानसिक दिव्यांगता के बाद इस वर्ग के व्यक्तियों के पराश्रय एवं दूसरों के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसकों दृष्टिगत रखते हुये मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिये शासकीय कार्यक्रमों के साथ स्वैच्छिक संस्थाओं की भी भागीदारी के लिये विभाग द्वारा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

दिव्यांग जन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

ब्रेल प्रेस का संचालन[31]

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराये जाने का कार्य किया जा रहा[15]

विचार-विमर्श

दिव्यांगों के हितार्थ सरकार द्वारा लगने वाली एकल खिड़की में विगत 18 महीने से अस्थि बाधित व मूकबधिर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है जिससे दिव्यांगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त मामले को लेकर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान द्वारा मंगलवार को कलेक्टर के नाम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें बताया गया कि दिव्यांगों के हितार्थ चलाई जा रही है। एकल खिड़की में जिले के काफी दिव्यांगों को शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

क्योंकि पिछले 18 महीने से मूकबधिर की जांच के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं है व पिछले 3 माह से अस्थि बाधित दिव्यांगों को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं होने के कारण दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिए जा रहे हैं। इस कारण जिले के दिव्यांगों को शासन की समुचित सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

दिव्यांग ज्योति संस्था के सदस्यों ने आवेदन में चेतावनी दी है कि यदि 5 सितंबर तक दिव्यांगों को उनकी सुविधा व सहायता के लिए चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आगामी 6 सितंबर को संस्था के सदस्यों द्वारा दिव्यांगों के सहयोग से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एकल खिड़की केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

मूक-बधिर और दिव्यांगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीजापुर गेस्ट हाउस में मुलाकात कर मुख्यमंत्री को तीसरी बार ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूक बधिरों की पीड़ा को समझने और एक सशक्त आयोग का गठन करने, गठन के बाद अलग सेल बनाने और उसमें अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर दिव्यांग (विकलांग) प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने के संबंध में मांग उठायी।

बुधवार को देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच के राष्ट्रीय महामंत्री संदीप अरोड़ा ने सीएम को अवगत कराया कि प्रदेश के मूक बधिरजनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा उदाहरण देहरादून के नारी निकेतन में मूक बधिर संवासिनियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और भ्रूण हत्या है। इसका प्रमुख कारण प्रदेश में सशक्त विकलांग आयोग का ना होना है। संदीप अरोड़ा ने अवगत कराया कि प्रदेश में नेत्रहीन, विकलांग और मूक बधिरों को एक श्रेणी में रखा गया है जबकि सबकी पीड़ा अलग-अलग है।

राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमित डोभाल ने कहा कि मूक बधिरों की शिक्षा, पुनर्वास व सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर कोई नीति सरकार के पास नहीं है। मंच के पौड़ी जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सजवाण ने कहा कि सरकार प्रदेश में विकलांगजनों के हित में एक ऐसा सशक्त आयोग बनाया जाए जिसमें अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर सभी तरह के विकलांगों को शामिल किया जाए। प्रदेश महासचिव अपूर्व नौटियाल और देहरादून जिलाध्यक्ष संजीव कुमार ने भी विचार रखे। सीएम ने मीडिया सलाहकार राजीव जैन को इस मामले में जल्द ही कार्य करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में अतुल राठौर, राजकुमार, सुनील डांगी शामिल थे।[14]

परिणाम

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की परिकल्पना है एक ऐसा समावेशी समाज बनाना, जहां दिव्यांगजन रचनात्मक, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सकें तथा जहां उन्हें विकास और उन्नति के लिए उचित सहायता मिले। इसका लक्ष्य है शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तथा जरूरत होने पर पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिये दिव्यांगजनों को समर्थ बनाना। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के दायरे में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचित दिव्यांगज आते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना मई 2012 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है दिव्यांगजन का सशक्तिकरण और उनका समावेश करना तथा ऐसी नोडल एजेंसी के रूप में काम करना, जो दिव्यांगजनों के विकास के कामों की देख-रेख करे। दिव्यांजनों का सशक्तिकरण अंतर-विषयक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न पहलू जैसे दिव्यांगता की रोकथाम, उसकी जल्द पहचान करना, पहल करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारपरक प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण शामिल हैं।[13]

इस विभाग की परिकल्पना, मिशन और रणनीतियां हैं: परिकल्पनाः एक समावेशी समाज का निर्माण करना जहां दिव्यांगजनों को उन्नति और विकास के समान अवसर मिलें, ताकि वे रचनात्मक, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। मिशनः विभिन्न अधिनियमों/संस्थानों/संगठनों और पुनर्वास योजनाओं के जरिये दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करके, उनके अधिकारों की रक्षा करके और समाज के स्वतंत्र व रचनात्मक सदस्य के रूप में हर स्तर पर भागीदारी करने में उन्हें सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त करना है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की प्रमुख उपलब्धियां:

• राष्ट्रपति ने तीन दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए शानदार काम करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

• सांकेतिक भाषा दिवस देशभर में 3200 स्थानों पर मनाया गया/हर जिले में सांकेतिक भाषा के जानकार है।

• कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली पर मेगा दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया

• दिव्य कला शक्ति; दिव्यांगता में क्षमता; कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की स्वाभाविक प्रतिभा को सामने लाने का अभिनव मंच है।[12]

• केवड़िया और इंदौर में क्रमशः चार मार्च और 15 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन/सतत समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिव्यांगजनों के प्रति आम लोगों में सकारात्मक भाव विकसित करने को सक्रिय उपाय जरूरीः टेंट सिटी केवड़िया में डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने अपने सम्बोधन में उल्लेख किया

• दिव्यांगता पर केंद्रीय परामर्श बोर्ड (सीएबी) की पांचवीं बैठक।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

• अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट/दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बीच पहली बार समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर– फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी ई-वाणिज्य कंपनियों के साथ दिव्यांगजनों को जोड़ने की पहल/समस्त समझौतों का लक्ष्य तेज गति के साथ मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए प्रणालियों और आधारभूत कौशल को विकसित करना है। दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी कंपनियों की संलग्नता।

• राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई)/समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) का उद्घाटन और शिलान्यास, ताकि उनकी सेवा आपूर्ति प्रणाली को विस्तार दिया जा सके, जिसके आधार पर वे स्वतंत्र माहौल में बेहतर पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर सकें

विवरणः सीआरसी कोझिकोड, सीआरसी देवनागिरी, सीआरसी राजनांदगांव, सीआरसी शिलांग, एनआई-एसवीएनआईआरटीएआर कटक, ओडिशा (100 बिस्तरों वाले पुनर्वास भवन अस्पताल का उद्घाटन)।

• एसवीएनआईआरटीएआर कटक, ओडिशा में 100 बिस्तरों वाले पुनर्वास भवन अस्पताल का उद्घाटन।

• माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 22 दिसंबर, 2022 को टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2022 की विजेता भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम का अभिनंदन किया और बातचीत की।[11]

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जिला रैडक्रोस सोसाइटी के माध्यम से संचालित जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र कुल्लू की शुरुआत 17 अक्तूबर 2016 में की गई थी। इस केंद्र के माध्यम से मुख्यताः दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी विकलांगता का आंकलन किया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण जैसे सुनने की मशीन, व्हीलचेयर, चलने हेतु छड़ियां, बैसाखीयां व अन्य सहायक उपकरण पात्रता के अनुसार निशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। ज़िला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण के इलावा शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के लिए मानोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से निदान किया जाता है। ऑडिओमिटरी ऑडिओलॉजिस्ट द्वारा सुनने की क्षमता का आंकलन किया जाता है । वहीं, स्पीच थेरेपिस्ट द्वारा हकलाना, तुतलाना बोलने की समस्याओं का निदान निः शुल्क किया जाता है।

विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का एक प्रमुख परिणाम 3 दिसंबर 1982 को महासभा द्वारा अपने संकल्प द्वारा अपनाई गई विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्रवाई के विश्व कार्यक्रम का निर्माण था। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन (डब्ल्यूपीए) विकलांगता की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों के समानता को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक रणनीति है, जो सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय विकास में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी से संबंधित है। डब्ल्यूपीए मानवाधिकार के नजरिए से विकलांगता को अपनाने की जरूरत पर भी जोर देता है।[10]
इसके तीन अध्याय विकलांगों से संबंधित सिद्धांतों, अवधारणाओं और परिभाषाओं का विश्लेषण प्रदान करते हैं; विकलांग व्यक्तियों के संबंध में विश्व की स्थिति का अवलोकन; और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाई के लिए सिफारिशें निर्धारित करना।

"अवसरों का समानीकरण" WPA का एक केंद्रीय विषय है और सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी की उपलब्धि के लिए इसका मार्गदर्शक दर्शन है। इस विषय में अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों को अलग-थलग नहीं, बल्कि सामान्य सामुदायिक सेवाओं के संदर्भ में माना जाना चाहिए।

उद्देश्य
विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्रवाई के विश्व कार्यक्रम का उद्देश्य अक्षमता, पुनर्वास और सामाजिक जीवन और विकास में विकलांग व्यक्तियों की "पूर्ण भागीदारी" और "समानता" के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी उपायों को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ है पूरी आबादी के बराबर अवसर और सामाजिक और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप रहने की स्थिति में सुधार में समान हिस्सेदारी। इन अवधारणाओं को सभी देशों के विकास के स्तर की परवाह किए बिना समान दायरे और समान तात्कालिकता के साथ लागू होना चाहिए।[9]

पृष्ठभूमि
दुनिया में 500 मिलियन से अधिक लोग मानसिक, शारीरिक या संवेदी हानि के परिणामस्वरूप अक्षम हैं। वे अन्य सभी मनुष्यों के समान अधिकारों और समान अवसरों के हकदार हैं। बहुत बार उनका जीवन समाज में शारीरिक और सामाजिक बाधाओं से

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

बाधित होता है जो उनकी पूर्ण भागीदारी को बाधित करता है। इस वजह से, दुनिया के सभी हिस्सों में लाखों बच्चे और वयस्क अक्सर एक ऐसे जीवन का सामना करते हैं जो अलग-थलग और दूषित होता है।[8]

आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों और विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति का विश्लेषण करना होगा। हालांकि, हर जगह, उन स्थितियों को दूर करने की अंतिम जिम्मेदारी जो हानि की ओर ले जाती हैं और विकलांगता के परिणामों से निपटने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। यह सामान्य रूप से समाज की, या व्यक्तियों की, या संगठनों की जिम्मेदारी को कमजोर नहीं करता है, सरकारों को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने से व्यक्तियों और समाज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों के बारे में आबादी की चेतना को जगाने का नेतृत्व करना चाहिए। , आर्थिक और राजनीतिक जीवन। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों को गंभीर अक्षमता के कारण आश्रित बना दिया गया है, उनके पास अपने साथी नागरिकों के समान जीवन स्तर प्राप्त करने का अवसर है। गैर-सरकारी संगठन, अलग-अलग तरीकों से सरकारों की ज़रूरतों को तैयार करने, उपयुक्त समाधान सुझाने और सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पूरक सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। जनसंख्या के सभी वर्गों द्वारा वित्तीय और भौतिक संसाधनों को साझा करना, विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़े बिना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामुदायिक सेवाओं के विस्तार और बेहतर आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप बड़ा महत्व हो सकता है।[7]

कुपोषण, पर्यावरण प्रदूषण, खराब स्वच्छता, अपर्याप्त प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, जल जनित रोगों और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं के खिलाफ किए गए उपायों के माध्यम से बहुत विकलांगता को रोका जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय टीकाकरण के कार्यक्रमों के विश्वव्यापी विस्तार के माध्यम से पोलियोमाइलाइटिस, टेटनस, हूपिंग-कफ और डिप्थीरिया और कुछ हद तक तपेदिक के कारण होने वाली विकलांगता के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।

कई देशों में, कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्वापेक्षाएँ आर्थिक और सामाजिक विकास, मानवतावादी क्षेत्र में पूरी आबादी को प्रदान की जाने वाली विस्तारित सेवाएँ, संसाधनों और आय का पुनर्वितरण और जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार हैं। तबाही, तबाही और गरीबी, भूख, पीड़ा, बीमारियों और लोगों की सामूहिक विकलांगता को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना आवश्यक है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर उपायों को अपनाने के लिए, सभी अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए आवश्यक है। शांतिपूर्ण साधनों और उन देशों में नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने के लिए जहां वे अभी भी मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी राज्यों के सदस्यों को यह सिफारिश करना भी वांछनीय होगा कि वे अक्षमता की रोकथाम और अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि सहित शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। तकनीकी सहायता के सभी प्रकार जो विकासशील देशों को इन उद्देश्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों की विस्तारित अवधि की आवश्यकता होगी, जिसके दौरान अक्षम व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। प्रभावी उपचारात्मक कार्रवाई के बिना, विकलांगता के परिणाम विकास में बाधाएँ बढ़ाएँगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्र अपनी सामान्य विकास योजनाओं में निःशक्तता की रोकथाम के लिए तत्काल उपायों को शामिल करें,

परिभाषा
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में हानि, अक्षमता और बाधा के बीच निम्नलिखित अंतर किया गया है:[6]

- हानि: मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या शारीरिक संरचना या कार्य की कोई हानि या असामान्यता।
- विकलांगता: कोई भी प्रतिबंध या कमी {एक हानि के परिणामस्वरूप) एक गतिविधि को तरीके से या एक इंसान के लिए सामान्य मानी जाने वाली सीमा के भीतर करने की क्षमता।
- बाधा: किसी दिए गए व्यक्ति के लिए एक नुकसान, एक हानि या अक्षमता के परिणामस्वरूप, उस व्यक्ति के लिए उम्र, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर सामान्य भूमिका की पूर्ति को सीमित या रोकता है। 2

विकलांग इसलिए विकलांग व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का एक कार्य है। ऐसा तब होता है जब वे सांस्कृतिक, भौतिक या सामाजिक बाधाओं का सामना करते हैं जो अन्य नागरिकों के लिए उपलब्ध समाज की विभिन्न प्रणालियों तक उनकी पहुंच को रोकते हैं। इस प्रकार, बाधा दूसरों के साथ समान स्तर पर समुदाय के जीवन में भाग लेने के अवसरों की हानि या सीमा है।

विकलांग लोग एक सजातीय समूह नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से मंद, नेत्रहीन, सुनने और बोलने में अक्षम और प्रतिबंधित गतिशीलता वाले या तथाकथित "चिकित्सा अक्षमता" वाले सभी विभिन्न प्रकार की विभिन्न बाधाओं का सामना करते हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीकों से दूर करना होगा।[5]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

निम्नलिखित परिभाषाएँ उस दृष्टिकोण से विकसित की गई हैं। विश्व कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्रवाई की प्रासंगिक शर्तों को रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता के रूप में परिभाषित किया गया है।

- रोकथाम का अर्थ मानसिक, शारीरिक और संवेदी हानि (प्राथमिक रोकथाम) की शुरुआत को रोकने या नकारात्मक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिणामों से होने वाली हानि को रोकने के उद्देश्य से है।
- पुनर्वास का अर्थ एक लक्ष्य-उन्मुख और समय-सीमित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक विकलांग व्यक्ति को इष्टतम मानसिक, शारीरिक और/या सामाजिक कार्यात्मक स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाना है, इस प्रकार उसे अपने जीवन को बदलने के लिए उपकरण प्रदान करता है। इसमें कार्य के नुकसान या कार्यात्मक सीमा (उदाहरण के लिए तकनीकी सहायता द्वारा) और सामाजिक समायोजन या पुन: समायोजन की सुविधा के लिए अन्य उपायों की क्षतिपूर्ति के लिए उपाय शामिल हो सकते हैं।
- अवसरों के समानीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से समाज की सामान्य प्रणाली, जैसे कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण, आवास और परिवहन, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक और काम के अवसर, खेल और मनोरंजन सुविधाओं सहित सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को सुलभ बनाया जाता है। सेवा में, सभी ग्।[4]

निवारण

हानि और विकलांगता की घटनाओं को कम करने के लिए रोकथाम की रणनीति आवश्यक है। इस तरह की रणनीति के मुख्य तत्व देश के विकास की स्थिति के अनुसार अलग-अलग होंगे और इस प्रकार हैं:

- हानि की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं: युद्ध से बचाव; सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार; परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों के भीतर हानि के प्रकार और उनके कारणों की पहचान; बेहतर पोषण प्रथाओं के माध्यम से विशिष्ट हस्तक्षेप उपायों की शुरूआत; स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शीघ्र पहचान और निदान; प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल; रोगी और चिकित्सक शिक्षा सहित उचित स्वास्थ्य देखभाल निर्देश; परिवार नियोजन; कानून और नियम; जीवन शैली में संशोधन; चुनिंदा प्लेसमेंट सेवाएं; पर्यावरणीय खतरों के बारे में शिक्षा; और बेहतर सूचित और मजबूत परिवारों और समुदायों को बढ़ावा देना;[3]
- जिस हद तक विकास होता है, पुराने खतरे कम होते हैं और नए पैदा होते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में रणनीति में बदलाव की आवश्यकता है, जैसे विटामिन ए की कमी के कारण सबसे अधिक जोखिम वाले विशिष्ट जनसंख्या समूहों पर निर्देशित पोषण हस्तक्षेप कार्यक्रम; उम्र बढ़ने के लिए बेहतर चिकित्सा देखभाल; उद्योगों में, कृषि में, सड़कों पर और घरों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशिक्षण और विनियम; और पर्यावरण प्रदूषण और नशीली दवाओं और शराब के उपयोग और दुरुपयोग का नियंत्रण। इस संबंध में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए WH0 रणनीति पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

विकार के लक्षणों और संकेतों का जल्द से जल्द संभावित पता लगाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, जिसके तुरंत बाद आवश्यक उपचारात्मक या उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जो विकलांगता को रोक सकती है या कम से कम विकलांगता की गंभीरता में महत्वपूर्ण कमी ला सकती है और अक्सर इसकी रोकथाम कर सकती है। स्थायी स्थिति बनती जा रही है। प्रारंभिक पहचान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा सामाजिक सेवाओं द्वारा परिवारों की पर्याप्त शिक्षा और अभिविन्यास और उन्हें तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जाए।[2]

पुनर्वास

पुनर्वास में आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं:

- प्रारंभिक पहचान, निदान और हस्तक्षेप;
- चिकित्सा देखभाल और उपचार;
- सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य प्रकार की परामर्श और सहायता;
- गतिशीलता, संचार और दैनिक जीवन कौशल सहित स्व-देखभाल गतिविधियों में प्रशिक्षण, आवश्यकतानुसार विशेष प्रावधानों के साथ, उदाहरण के लिए, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से मंद लोगों के लिए;
- तकनीकी और गतिशीलता सहायता और अन्य उपकरणों का प्रावधान;
- विशिष्ट शिक्षा सेवाएं;
- व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं (व्यावसायिक मार्गदर्शन सहित), व्यावसायिक प्रशिक्षण, खुले या आश्रित रोजगार में नियुक्ति;
- आगे की कार्रवाई करना।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

सभी पुनर्वास प्रयासों में व्यक्ति की योग्यताओं पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसकी सत्यनिष्ठा और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों के सामान्य विकास और परिपक्वता प्रक्रिया पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। विकलांग वयस्कों की कार्य करने की क्षमता और अन्य गतिविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।[1]

विकलांग व्यक्तियों के परिवारों और उनके समुदायों में पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद हैं। विकलांग व्यक्तियों की मदद करने में, उनके परिवारों को एक साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने समुदायों में रह सकें और इस उद्देश्य के साथ काम कर रहे परिवार और सामुदायिक समूहों का समर्थन कर सकें। पुनर्वास और सहायक कार्यक्रमों की योजना बनाने में, परिवार और समुदाय के रीति-रिवाजों और संरचनाओं को ध्यान में रखना और अक्षम व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं, जब भी संभव हो, समाज के मौजूदा सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम ढांचे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। इनमें स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तर शामिल हैं; प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के सामान्य कार्यक्रम और रोजगार में नियुक्ति; और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं के उपाय। पुनर्वास सेवाओं का उद्देश्य नियमित सामुदायिक सेवाओं और गतिविधियों में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। समुदाय आधारित सेवाओं और विशेष संस्थानों द्वारा समर्थित प्राकृतिक वातावरण में पुनर्वास होना चाहिए। बड़े संस्थानों से बचना चाहिए। विशिष्ट संस्थाएँ, जहाँ वे आवश्यक हों, संगठित की जानी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्तियों का समाज में शीघ्र और स्थायी एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।[2]

पुनर्वास कार्यक्रमों को विकलांग व्यक्तियों के लिए यह संभव बनाना चाहिए कि वे उन सेवाओं को डिजाइन और व्यवस्थित करने में भाग लें जिन्हें वे और उनके परिवार आवश्यक मानते हैं। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए प्रक्रिया प्रणाली के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। जब गंभीर रूप से मानसिक रूप से विकलांग लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में पर्याप्त रूप से अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, तो परिवार के सदस्यों या कानूनी रूप से नामित एजेंटों को योजना बनाने और निर्णय लेने में भाग लेना चाहिए।

अन्य सेवाओं में एकीकृत पुनर्वास सेवाओं को विकसित करने और उन्हें अधिक आसानी से उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन्हें आयातित महंगे उपकरण, कच्चे माल और प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ाया जाना चाहिए और उन तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो कार्यात्मक हैं और मौजूदा परिस्थितियों से संबंधित हैं।[3]

अवसरों का समानीकरण

"पूर्ण भागीदारी और समानता" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए लक्षित पुनर्वास उपाय पर्याप्त नहीं हैं। अनुभव से पता चलता है कि यह काफी हद तक पर्यावरण है जो किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन पर एक हानि या अक्षमता के प्रभाव को निर्धारित करता है। एक व्यक्ति विकलांग तब होता है जब उसे समुदाय में आम तौर पर उपलब्ध अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो पारिवारिक जीवन, शिक्षा, रोजगार, आवास, वित्तीय और व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक और राजनीतिक समूहों में भागीदारी, धार्मिक सहित जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए आवश्यक हैं। गतिविधि, अंतरंग और यौन संबंध, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच, आने-जाने की स्वतंत्रता और दैनिक जीवन की सामान्य शैली।

समाज कभी-कभी केवल उन लोगों को पूरा करते हैं जो अपने सभी शारीरिक और मानसिक संकायों के पूर्ण अधिकार में हैं। उन्हें इस तथ्य को पहचानना होगा कि, निवारक प्रयासों के बावजूद, विकलांग और विकलांग लोगों की संख्या हमेशा रहेगी, और यह कि समाजों को उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए बाधाओं की पहचान करनी होगी और उन्हें दूर करना होगा। इस प्रकार, जब भी शैक्षणिक रूप से संभव हो, शिक्षा सामान्य स्कूल प्रणाली में होनी चाहिए, खुले रोजगार के माध्यम से काम प्रदान किया जाना चाहिए और आवास सामान्य रूप से जनसंख्या के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हर सरकार का कर्तव्य है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ विकलांग नागरिकों तक भी पहुंचे। इस आशय के उपायों को सामान्य नियोजन प्रक्रिया और हर समाज के प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सेवाएं जिनकी विकलांग व्यक्तियों को आवश्यकता हो सकती है,[4]

उपरोक्त केवल सरकारों पर लागू नहीं होता है। किसी भी प्रकार के उद्यम के प्रभारी को इसे विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहिए। यह विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, फर्मों और निजी व्यक्तियों पर लागू होता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है।

स्थायी अक्षमता वाले लोग जिन्हें सामुदायिक सहायता सेवाओं, सहायता और उपकरणों की आवश्यकता होती है ताकि वे घर और समुदाय दोनों में यथासंभव सामान्य रूप से रह सकें, ऐसी सेवाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। जो लोग ऐसे विकलांग व्यक्तियों

के साथ रहते हैं और उनकी दैनिक गतिविधियों में उनकी सहायता करते हैं, उन्हें स्वयं सहायता प्राप्त करनी चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त आराम और विश्राम मिल सके और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने का अवसर मिल सके।

विकलांगों और गैर-विकलांगों के लिए समान अधिकारों के सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरतें समान महत्व की हैं, कि इन ज़रूरतों को समाजों की योजना के लिए आधार बनाया जाना चाहिए, और सभी संसाधनों को इस तरह से नियोजित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को भागीदारी का समान अवसर सुनिश्चित हो सके। विकलांगता नीतियों को विकलांगों की सभी सामुदायिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए।

जैसे विकलांग व्यक्तियों के समान अधिकार होते हैं, वैसे ही उनके समान दायित्व भी होते हैं। समाज निर्माण में सहभागी बनना उनका कर्तव्य है। जहाँ तक अक्षम व्यक्तियों का संबंध है, समाजों को उम्मीदों के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए, और ऐसा करते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने पूरे संसाधनों को जुटाना चाहिए। इसका मतलब है, अन्य बातों के अलावा, युवा विकलांग व्यक्तियों को कैरियर और व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए - न कि जल्दी सेवानिवृत्ति पेंशन या सार्वजनिक सहायता।[5]

विकलांग व्यक्तियों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे समाज में अपनी भूमिका को पूरा करें और वयस्कों के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करें। विकलांग व्यक्तियों की छवि विभिन्न कारकों पर आधारित सामाजिक दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है जो भागीदारी और समानता के लिए सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। हम सफेद कैनर बैसाखी, श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर द्वारा दिखाई गई विकलांगता को देखते हैं, लेकिन व्यक्ति को नहीं। जरूरत इस बात की है कि विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता पर नहीं बल्कि क्षमता पर ध्यान दिया जाए।

पूरी दुनिया में, विकलांग व्यक्तियों ने सरकारों और समाज के सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों को प्रभावित करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारों के हिमायती के रूप में संगठनों में एकजुट होना शुरू कर दिया है। इन संगठनों की भूमिका में अपनी खुद की आवाज देना, जरूरतों की पहचान करना, प्राथमिकताओं पर विचार व्यक्त करना, सेवाओं का मूल्यांकन करना और परिवर्तन और जन जागरूकता की वकालत करना शामिल है। आत्म-विकास के वाहन के रूप में, ये संगठन बातचीत की प्रक्रिया, संगठनात्मक क्षमताओं, आपसी समर्थन, सूचना-साझाकरण और अक्सर व्यावसायिक कौशल और अवसरों में कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। भागीदारी की प्रक्रिया में उनके महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए यह जरूरी है कि उनके विकास को प्रोत्साहित किया जाए।[6]

मानसिक रूप से विकलांग लोग अब अपनी आवाज की मांग करने लगे हैं और निर्णय लेने और चर्चा में भाग लेने के अपने अधिकार पर जोर दे रहे हैं। यहां तक कि सीमित संचार कौशल वाले लोगों ने भी अपनी बात व्यक्त करने में खुद को सक्षम दिखाया है। इस संबंध में, उन्हें अन्य विकलांग व्यक्तियों के आत्म-समर्थन आंदोलन से बहुत कुछ सीखना है। इस विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए सूचना तैयार और प्रसारित की जानी चाहिए। प्रस्तुतीकरण लाने के लिए सभी सार्वजनिक मीडिया के सहयोग की मांग की जानी चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की समझ को बढ़ावा देगी जो जनता और स्वयं विकलांग व्यक्तियों के लिए लक्षित है, और जो परंपरागत रूढ़िवादों और पूर्वाग्रहों को मजबूत करने से बचाएगी।

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अपनाई गई अवधारणाएँ

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शांति के सिद्धांतों की पुन: पुष्टि, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता में विश्वास, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने को प्राथमिक महत्व दिया गया है।[7]

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा विवाह के लिए किसी भी प्रकार के भेद के बिना सभी लोगों के अधिकार की पुष्टि करती है; संपत्ति का स्वामित्व; सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच; सामाजिक सुरक्षा; और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति। मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 3 मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा, 4 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा 5 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित सिद्धांतों को विशिष्ट अभिव्यक्ति देते हैं।

सामाजिक प्रगति और विकास पर घोषणा 6 शारीरिक और मानसिक रूप से वंचित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की घोषणा करता है। यह सभी को उपयोगी और उत्पादक श्रम के अधिकार और अवसर की गारंटी देता है।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के भीतर, कई कार्यालय उपरोक्त अवधारणाओं के साथ-साथ विश्व कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनमें शामिल हैं: मानव अधिकारों का विभाजन; अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग; विकास के

लिए तकनीकी सहयोग विभाग; सार्वजनिक सूचना विभाग; नारकोटिक ड्रग्स का डिवीजन; और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्षेत्रीय आयोगों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है: अदीस अबाबा (इथियोपिया) में अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग, जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में यूरोप के लिए आर्थिक आयोग, सैंटियागो (चिली) में लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग, आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकाक (थाईलैंड) में एशिया और प्रशांत और बगदाद (इराक) में पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक आयोग।

संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों और कार्यक्रमों ने विकास से संबंधित दृष्टिकोणों को अपनाया है जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विश्व कार्य योजना को लागू करने में महत्वपूर्ण होगा। इनमें शामिल हैं: - तकनीकी सहयोग में नए आयामों पर महासभा के संकल्प 3405 (XXX) में निहित जनादेश, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को निर्देशित करता है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिक्रिया करते समय समाज के सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचने के महत्व को ध्यान में रखता है। उनकी सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए सरकारों के अनुरोध और जो विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग की अवधारणाओं को शामिल करता है;[8]

- सभी बच्चों के लिए बुनियादी सेवाओं की संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा अपनाई गई अवधारणा और इसके द्वारा 1980 में अपनाई गई रणनीति विकलांग बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सहायता करने के लिए परिवार और सामुदायिक संसाधनों को मजबूत करने पर जोर देना;
- शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय (यूएनएचसीआर), विकलांग शरणार्थियों के लिए अपने कार्यक्रम के साथ;
- निकट पूर्व में फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA), जो अन्य बातों के अलावा, फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के बीच हानि की रोकथाम और शरणार्थी आबादी के अक्षम सदस्यों का सामना करने वाली सामाजिक और भौतिक बाधाओं को कम करने से संबंधित है। ;
- संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत समन्वयक (यूएनडीआरओ) के कार्यालय द्वारा उन्नत आपदा तैयारी और पहले से ही अक्षम लोगों के लिए रोकथाम, और आपदा के समय प्राप्त चोट या उपचार के परिणामस्वरूप स्थायी अक्षमता की रोकथाम के विशिष्ट उपायों की अवधारणाएं);[9]
- यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स (UNCHS), भौतिक बाधाओं और भौतिक वातावरण तक सामान्य पहुंच के बारे में अपनी चिंता के साथ;
- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो); UNIDO की गतिविधियों में विकलांगता की रोकथाम के साथ-साथ विकलांगों के लिए तकनीकी उपकरणों के लिए आवश्यक दवाओं का उत्पादन शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की विशिष्ट एजेंसियां, जो क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने, समर्थन करने और चलाने में शामिल हैं, के पास विकलांगता से संबंधित कार्य का एक लंबा रिकॉर्ड है। विकलांगता रोकथाम, पोषण, स्वच्छता, विकलांग बच्चों और वयस्कों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी प्लेसमेंट और अन्य के कार्यक्रम अनुभव और जानकारी के भंडार का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आगे की उपलब्धियों के अवसरों को खोलता है और साथ ही, इसे संभव बनाता है अक्षमता मामलों से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ इन अनुभवों को साझा करें। इन एजेंसियों और उनके कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की बुनियादी जरूरतों की रणनीति और विकलांगों के व्यावसायिक पुनर्वास, 1955 से संबंधित ILO सिफारिश संख्या 99 में निर्धारित सिद्धांत;
- संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), पोषण और विकलांगता के बीच संबंध पर जोर देने के साथ;[10]
- विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के एक विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित अनुकूलित शिक्षा की अवधारणा, जिसे सुंदरबर्ग घोषणा के दो मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा प्रबलित किया गया है: 7
  - विकलांग व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल सामुदायिक सेवाओं से प्राप्त होगा;
  - सेवाओं के विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीकरण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा और उस समुदाय के ढांचे के भीतर संतुष्ट किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं;
- विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम और संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने पहले से ही बीमारियों और अक्षमताओं को रोकने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा, जैसा कि 1978 में अल्मा-अता में आयोजित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा विस्तृत किया गया था, और विकलांगता के स्वास्थ्य पहलुओं के लिए इस अवधारणा का अनुप्रयोग, इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति में वर्णित है, 1978 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुमोदित;

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ), जिसने विकलांग यात्रियों के लिए आवाजाही की सुविधाओं और सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में अनुबंधित राज्यों की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है;[11]
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की कार्यकारी समिति, जिसने विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए सभी राष्ट्रीय डाक प्रशासनों को आमंत्रित करने की सिफारिश को अपनाया है

वर्तमान स्थिति
सामान्य विवरण
आज विश्व में निःशक्तजनों की संख्या बड़ी और बढ़ती जा रही है। 500 मिलियन के अनुमानित आंकड़े की पुष्टि अनुभवी जांचकर्ताओं की टिप्पणियों के साथ आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षणों के परिणामों से होती है। अधिकांश देशों में, 10 में से कम से कम एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या संवेदी दुर्बलता से अक्षम है, और किसी भी आबादी का कम से कम 25 प्रतिशत विकलांगता की उपस्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है।

अक्षमता के कारण दुनिया भर में भिन्न होते हैं, जैसे कि व्यापकता और अक्षमता के परिणाम। ये विविधताएं विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और विभिन्न प्रावधानों का परिणाम हैं जो प्रत्येक समाज अपने सदस्यों की भलाई के लिए बनाता है।

विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने उन क्षेत्रों में रहने वाले कम से कम 350 मिलियन विकलांग व्यक्तियों का अनुमान लगाया है जहां उनकी सीमाओं पर काबू पाने में सहायता के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। काफी हद तक विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो पुनर्वास सहायता उपलब्ध होने पर भी उनके जीवन को बाधित करते हैं

विकलांग व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और विकलांग व्यक्तियों को समाज के हाशिए पर धकेलने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इसमे शामिल है:[12]

- युद्ध और युद्धों के परिणाम और हिंसा और विनाश के अन्य रूप, गरीबी, भूख, महामारी और जनसंख्या में प्रमुख बदलाव;
- बोझ से दबे और गरीब परिवारों का एक उच्च अनुपात, और भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर आवास और रहने की स्थिति;
- निरक्षरता के उच्च अनुपात वाली आबादी और बुनियादी सामाजिक सेवाओं या स्वास्थ्य और शिक्षा उपायों के बारे में थोड़ी जागरूकता;
- विकलांगता, उसके कारणों, रोकथाम और उपचार के बारे में सटीक ज्ञान का अभाव; इसमें विकलांगता पर लांछन, भेदभाव और गलत विचार शामिल हैं;
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के अपर्याप्त कार्यक्रम;
- संसाधनों की कमी, भौगोलिक दूरी और भौतिक और सामाजिक बाधाओं सहित बाधाएं, जो कई लोगों के लिए उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाना असंभव बनाती हैं;
- अत्यधिक विशिष्ट सेवाओं के लिए संसाधनों की चैनलिंग जो अधिकांश लोगों की ज़रूरतों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है;
- सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए संबंधित सेवाओं के बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति या कमजोरी;
- अवसरों की समानता, विकलांगता की रोकथाम और पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास में कम प्राथमिकता;
- औद्योगिक, कृषि और परिवहन संबंधी दुर्घटनाएं;
- प्राकृतिक आपदा और भूकंप;
- भौतिक पर्यावरण का प्रदूषण;
- पारंपरिक से आधुनिक समाज में संक्रमण से जुड़े तनाव और अन्य मनो-सामाजिक समस्याएं;
- दवा का अविवेकपूर्ण उपयोग, चिकित्सीय पदार्थों का दुरुपयोग और दवाओं और उत्तेजक पदार्थों का अवैध उपयोग;
- आपदा के समय घायल व्यक्तियों का दोषपूर्ण उपचार, जो परिहार्य अक्षमता का कारण हो सकता है;

- शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि और अन्य अप्रत्यक्ष कारक।[13]

विकलांगता और गरीबी के बीच संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। जबकि गरीबी से त्रस्त लोगों के लिए हानि का जोखिम बहुत अधिक है, इसका विलोम भी सही है। एक विकलांग बच्चे का जन्म, या परिवार में विकलांगता की घटना, अक्सर परिवार के सीमित संसाधनों पर भारी माँग करती है और उसके मनोबल पर दबाव डालती है, इस प्रकार उसे और अधिक गरीबी में धकेल देती है। इन कारकों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप समाज के सबसे गरीब तबकों में विकलांग व्यक्तियों का अनुपात अधिक होता है। इस कारण से, गरीबी के स्तर पर रहने वाले प्रभावित परिवारों की संख्या लगातार निरपेक्ष रूप से बढ़ती है। इन प्रवृत्तियों का नकारात्मक प्रभाव विकास प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित करता है।

मौजूदा ज्ञान और कौशल कई दुर्बलताओं और अक्षमताओं की शुरुआत को रोक सकते हैं, प्रभावित लोगों को उनकी अक्षमताओं पर काबू पाने या कम करने में सहायता कर सकते हैं, और राष्ट्रों को उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम बना सकते हैं जो विकलांग व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर करते हैं।[14]

विकासशील देशों में विकलांगता

विकासशील देशों में विकलांगता की समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में कम से कम 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति पृथक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से कुछ देशों में विकलांग आबादी का प्रतिशत 20 तक होने का अनुमान है और इस प्रकार, यदि परिवारों और रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है, तो 50 प्रतिशत आबादी विकलांगता से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। समस्या को इस तथ्य से और अधिक जटिल बना दिया जाता है कि, अधिकांश भाग के लिए विकलांग व्यक्ति भी आमतौर पर बेहद गरीब लोग होते हैं। वे अक्सर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां चिकित्सा और अन्य संबंधित सेवाएं दुर्लभ हैं, या यहां तक कि पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, और जहां अक्षमताएं नहीं हैं और समय पर पता नहीं लगाया जा सकता है। जब वे चिकित्सा ध्यान प्राप्त करते हैं, यदि वे इसे प्राप्त करते हैं, तो हानि अपरिवर्तनीय हो सकती है। कई देशों में, अक्षमता का पता लगाने और उसे रोकने के लिए और अक्षम आबादी के पुनर्वास और सहायक सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। प्रशिक्षित कर्मी, पुनर्वास के लिए नई और अधिक प्रभावी रणनीतियों और दृष्टिकोणों में अनुसंधान और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण और उपकरणों का निर्माण और प्रावधान काफी अपर्याप्त हैं।[15]

ऐसे देशों में, जनसंख्या विस्फोट से विकलांगता की समस्या और भी बढ़ जाती है, जो आनुपातिक और निरपेक्ष रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या को अनिवार्य रूप से बढ़ा देती है। इस प्रकार, विकलांग आबादी में वृद्धि को रोकने और पहले से ही अक्षम लोगों को पुनर्वास और सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसांख्यिकीय नीतियों को विकसित करने के लिए ऐसे देशों की पहली प्राथमिकता के रूप में तत्काल आवश्यकता है।[16]

विशेष समूह

कमियों और अक्षमता के परिणाम महिलाओं के लिए विशेष रूप से गंभीर हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है जो उनकी पहुंच को बाधित करता है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार। इसके अलावा, यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं, तो उनकी अक्षमता पर काबू पाने की संभावना कम हो जाती है, जिससे उनके लिए सामुदायिक जीवन में भाग लेना और भी कठिन हो जाता है। परिवारों में, विकलांग माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के पास होती है, जो उनकी स्वतंत्रता और अन्य गतिविधियों में भाग लेने की उनकी संभावनाओं को काफी सीमित कर देती है।

कई बच्चों के लिए, एक हानि की उपस्थिति उन अनुभवों से अस्वीकृति या अलगाव की ओर ले जाती है जो सामान्य विकास का हिस्सा हैं। बच्चों के व्यक्तित्व और आत्म-छवि के विकास के महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान दोषपूर्ण परिवार और सामुदायिक व्यवहार और व्यवहार से यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।[17]

अधिकांश देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, और पहले से ही कुछ देशों में दो तिहाई विकलांग लोग भी बुजुर्ग हैं। अधिकांश स्थितियां जो उनकी विकलांगता का कारण बनती हैं (उदाहरण के लिए, गठिया, स्ट्रोक, हृदय रोग और श्रवण और दृष्टि में गिरावट) युवा विकलांग लोगों में आम नहीं हैं और रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और सहायता सेवाओं के विभिन्न रूपों की आवश्यकता हो सकती है।

अपराध विज्ञान की एक शाखा के रूप में "विक्टिमोलॉजी" के उद्भव के साथ, अपराध के पीड़ितों को स्थायी या अस्थायी विकलांगता के कारण होने वाली चोटों की सही सीमा अब केवल आम तौर पर ज्ञात हो रही है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

यातना के शिकार जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं, जन्म या सामान्य गतिविधि की दुर्घटना से नहीं, बल्कि जानबूझकर चोट लगने से विकलांग व्यक्तियों का एक और समूह बनता है।

मानव निर्मित आपदाओं के परिणामस्वरूप आज दुनिया में 10 मिलियन से अधिक शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति हैं। उनमें से कई उत्पीड़न, हिंसा और खतरों से पीड़ित होने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं। अधिकांश तीसरी दुनिया के देशों में हैं, जहां सेवाएं और सुविधाएं बेहद सीमित हैं। एक शरणार्थी होना अपने आप में एक बाधा है, और एक विकलांग शरणार्थी दोगुनी विकलांग है।[18]

विदेशों में कार्यरत श्रमिक अक्सर खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाते हैं जो पर्यावरण में अंतर, देश की भाषा के ज्ञान की कमी या अपर्याप्त ज्ञान, पूर्वाग्रह और भेदभाव, व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी या कमी, और अपर्याप्त रहने की स्थिति के परिणामस्वरूप बाधाओं की एक श्रृंखला से जुड़ी होती है। . रोजगार के देश में प्रवासी श्रमिकों की विशेष स्थिति उन्हें और उनके परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों और व्यावसायिक दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर करती है जो अक्सर हानि या विकलांगता का कारण बनती है। विकलांग प्रवासी श्रमिकों की स्थिति उनके मूल देश में लौटने की आवश्यकता से और अधिक बढ़ सकती है, जहां ज्यादातर मामलों में विकलांगों के लिए विशेष सेवाएं और सुविधाएं बहुत सीमित हैं।

निवारण

हानि को रोकने के लिए गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जैसे स्वच्छता, शिक्षा और पोषण में सुधार; माँ और बच्चे की देखभाल पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के माध्यम से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुँच; आनुवंशिक और प्रसवपूर्व देखभाल कारकों पर माता-पिता को परामर्श देना; टीकाकरण और रोगों और संक्रमणों का नियंत्रण; दुर्घटना की रोकथाम; और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार। दुनिया के कुछ हिस्सों में, ऐसे उपायों का शारीरिक और मानसिक हानि की घटनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।[19]

दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए, विशेष रूप से आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में देशों में रहने वाले लोगों के लिए, ये निवारक उपाय प्रभावी रूप से ज़रूरतमंद लोगों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुँचते हैं। अधिकांश विकासशील देशों ने अभी तक समय-समय पर स्वास्थ्य जांच के माध्यम से हानि का जल्द पता लगाने और रोकथाम के लिए एक प्रणाली स्थापित की है, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए।

12 नवंबर 1981 की विकलांगता की रोकथाम पर लीड्स कैसल घोषणा में, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य प्रशासकों और राजनेताओं के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने अक्षमता को रोकने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों पर ध्यान दिया:

- प्राथमिक स्वास्थ्य में सस्ते सुधार से कुपोषण, संक्रमण और उपेक्षा से उत्पन्न हानि को रोका जा सकता है।[20]
- बाद के जीवन की कई अक्षमताओं को स्थगित या टाला जा सकता है। वंशानुगत और अपक्षयी स्थितियों के नियंत्रण के लिए शोध की आशाजनक रेखाएँ हैं।
- निःशक्तता को अपंगता को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। सरल उपचारों को लागू करने में विफलता अक्सर अक्षमता को बढ़ाती है, और समाज के दृष्टिकोण और संस्थागत व्यवस्था लोगों को अक्षमता की संभावना में वृद्धि करती है। जनता और पेशेवरों की सतत शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है।
- औद्योगीकृत और विकासशील सभी देशों में परिहार्य विकलांगता आर्थिक बर्बादी और मानव अभाव का एक प्रमुख कारण है। इस नुकसान को तेजी से कम किया जा सकता है।
- अधिकांश विकलांगता को रोकने या नियंत्रित करने वाली तकनीक उपलब्ध है और इसमें सुधार हो रहा है। समस्याओं को दूर करने के लिए समाज द्वारा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्राथमिकता को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- यद्यपि अधिकांश विकलांगताओं के निवारक और उपचारात्मक नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है, जैव चिकित्सा अनुसंधान में उल्लेखनीय हालिया प्रगति ने क्रांतिकारी नए उपकरणों का वादा किया है जो सभी हस्तक्षेपों को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान दोनों आने वाले वर्षों में समर्थन के पात्र हैं।

यह तेजी से मान्यता प्राप्त हो रही है कि हानि को रोकने के लिए कार्यक्रम या यह सुनिश्चित करने के लिए कि अक्षमताएं अधिक सीमित अक्षमताओं में नहीं बढ़ती हैं, अक्षम व्यक्तियों के लिए बाद में देखभाल करने की तुलना में लंबे समय तक समाज के लिए कम खर्चीला है। उदाहरण के लिए, यह कम से कम व्यावसायिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर लागू होता है, जो अभी भी कई देशों में चिंता का एक उपेक्षित क्षेत्र है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

पुनर्वास

पुनर्वास सेवाएं अक्सर विशेष संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती हैं। हालांकि, आम सार्वजनिक सुविधाओं में सेवाओं के एकीकरण पर अधिक जोर देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।[21]

पुनर्वास के रूप में वर्णित गतिविधियों की सामग्री और भावना दोनों में विकास हुआ है। पारंपरिक प्रथा ने पुनर्वास को एक संस्थागत सेटिंग में विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और सेवाओं के एक पैटर्न के रूप में देखा। अक्सर चिकित्सा अधिकार के तहत। इसे धीरे-धीरे कार्यक्रमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो अभी भी योग्य चिकित्सा, सामाजिक और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करते हुए समुदायों और परिवारों को भी शामिल करते हैं और सामान्य सामाजिक वातावरण के भीतर हानि के अक्षमता प्रभावों को दूर करने के लिए अपने अक्षम सदस्यों के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी सहायता करते हैं। तेजी से यह माना जा रहा है कि गंभीर रूप से अक्षम व्यक्ति भी काफी हद तक स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं यदि आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

कई विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ देशों में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक तकनीक अच्छी तरह से विकसित है, और विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता, संचार और दैनिक जीवन में सहायता के लिए अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों का निर्माण किया जाता है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की लागत अधिक है, और केवल कुछ ही देश ऐसे उपकरण प्रदान करने में सक्षम हैं।

कई लोगों को गतिशीलता, संचार और दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरल उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऐसी सहायताएँ कुछ देशों में निर्मित और उपलब्ध हैं। हालांकि, कई अन्य देशों में, उनकी उपलब्धता और/या उच्च लागत की कमी के कारण उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उत्पादन के स्थानीय तरीकों के साथ सरल, कम खर्चीले उपकरणों के डिजाइन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जो संबंधित देश के लिए अधिक आसानी से अनुकूलित हैं, अधिकांश विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त हैं और उनके लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हैं।[22]

अवसरों का समानीकरण

विकलांग व्यक्तियों के अपने समाज में भाग लेने के अधिकार मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कई देशों ने पूर्ण भागीदारी के लिए बाधाओं को खत्म करने या कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सांस्कृतिक और भौतिक बाधाओं को दूर करने और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को अधिकार, और स्कूली शिक्षा, रोजगार और सामुदायिक सुविधाओं तक पहुंच के अवसरों की गारंटी देने के लिए कानून कई मामलों में अधिनियमित किया गया है। संस्थानों से दूर समुदाय आधारित जीवन के लिए एक आंदोलन किया गया है। कुछ विकसित और विकासशील देशों में, संस्थानों और विशेष स्कूलों में तदनुरूप कमी के साथ स्कूली शिक्षा में "मुक्त शिक्षा" पर जोर बढ़ रहा है। सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को सुलभ बनाने के तरीके तैयार किए गए हैं, साथ ही संवेदी-विकलांग व्यक्तियों के लिए जानकारी को सुलभ बनाने के तरीके भी तैयार किए गए हैं। ऐसे उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। कई मामलों में,

अक्सर, अक्षम व्यक्तियों ने अवसरों के समानीकरण की प्रक्रिया की बेहतर समझ लाने का बीड़ा उठाया है। इस संदर्भ में, उन्होंने समाज की मुख्यधारा में अपने स्वयं के एकीकरण की वकालत की है।[23]

इस तरह के प्रयासों के बावजूद, विकलांग व्यक्ति अभी भी समान अवसर प्राप्त करने से दूर हैं और अधिकांश देशों में विकलांग व्यक्तियों के समाज में एकीकरण की डिग्री अभी तक संतोषजनक नहीं है।

शिक्षा

कम से कम 10 प्रतिशत बच्चे विकलांग हैं। उनके पास गैर-विकलांग व्यक्तियों के समान शिक्षा का अधिकार है और उन्हें सक्रिय हस्तक्षेप और विशेष सेवाओं की आवश्यकता है। लेकिन विकासशील देशों में अधिकांश विकलांग बच्चे न तो विशेष सेवाएं प्राप्त करते हैं और न ही अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करते हैं।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शैक्षिक स्तर वाले कुछ देशों से उन देशों में बहुत भिन्नता है जहां ऐसी सुविधाएं सीमित या गैर-मौजूद हैं।

विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के मौजूदा ज्ञान में कमी है। इसके अलावा, अक्सर ऐसा कोई कानून नहीं होता है जो उनकी जरूरतों और शिक्षण कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी से निपटता हो। अधिकांश देशों में विकलांग व्यक्तियों को अब तक आजीवन शिक्षा का लाभ नहीं मिला है।

शिक्षण तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवीन विकास हुए हैं और विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा में और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन प्रगति ज्यादातर कुछ देशों या केवल कुछ शहरी केंद्रों तक ही सीमित है।

अग्रिमों में शुरुआती पहचान, मूल्यांकन और हस्तक्षेप, विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में विशेष शिक्षा कार्यक्रम, कई विकलांग बच्चे नियमित स्कूल सेटिंग में भाग लेने में सक्षम होते हैं, जबकि अन्य को बहुत गहन कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।[24]

रोज़गार

बहुत से निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार से वंचित कर दिया जाता है या केवल निम्न स्तर का और खराब पारिश्रमिक वाली नौकरियां दी जाती हैं। यह सच है, भले ही यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि उचित मूल्यांकन, प्रशिक्षण और नियुक्ति के साथ, विकलांग व्यक्तियों की बड़ी संख्या प्रचलित कार्य मानदंडों के अनुसार बड़ी संख्या में कार्य कर सकती है। बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय में, विकलांग व्यक्तियों को आमतौर पर सबसे पहले छुट्टी दी जाती है और सबसे बाद में काम पर रखा जाता है। कुछ औद्योगीकृत देशों में आर्थिक मंदी के प्रभावों का सामना कर रहे विकलांग नौकरी चाहने वालों के बीच बेरोजगारी की दर नौकरी के लिए सक्षम आवेदकों की तुलना में दोगुनी है। कई देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम विकसित किए गए हैं और उपाय किए गए हैं। इनमें शेल्टर्ड और प्रोडक्शन वर्कशॉप, शेल्टर्ड एन्क्लेव, नामित पद, कोटा स्कीम, उन नियोक्ताओं के लिए सब्सिडी जो विकलांग श्रमिकों को प्रशिक्षित करते हैं और बाद में विकलांगों, सहकारी समितियों और विकलांगों आदि के लिए काम करते हैं। नियमित या विशेष प्रतिष्ठानों में कार्यरत विकलांग श्रमिकों की वास्तविक संख्या रोजगार योग्य विकलांग श्रमिकों की संख्या से बहुत कम है। एर्गोनोमिक सिद्धांतों के व्यापक अनुप्रयोग से कार्यस्थल, उपकरण, मशीनरी और उपकरणों का अपेक्षाकृत कम लागत पर अनुकूलन होता है और विकलांगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलती है।

कई विकलांग व्यक्ति, विशेष रूप से विकासशील देशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जब परिवार की अर्थव्यवस्था कृषि या अन्य ग्रामीण व्यवसायों पर आधारित होती है और जब पारंपरिक विस्तारित परिवार मौजूद होता है, तो यह संभव हो सकता है कि अधिकांश विकलांग व्यक्तियों को प्रदर्शन करने के लिए कुछ उपयोगी कार्य दिए जाएं। जैसे-जैसे अधिक परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर बढ़ते हैं, जैसे-जैसे कृषि अधिक यंत्रीकृत और व्यावसायीकृत होती जाती है, जैसे-जैसे पैसे का लेन-देन वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह लेता है और जैसे-जैसे विस्तारित परिवार की संस्था बिखरती जाती है, विकलांग व्यक्तियों की व्यावसायिक दुर्दशा और अधिक गंभीर होती जाती है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए, रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा भारी है, और अन्य आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि दुर्लभ है। ऐसे क्षेत्रों में कई विकलांग व्यक्ति जबरन निष्क्रियता से पीड़ित होते हैं और आश्रित हो जाते हैं; दूसरों को भीख माँगनी चाहिए।[25]

सामाजिक प्रश्न

समाज परिवार, सामाजिक समूहों और समुदाय की बुनियादी इकाइयों में पूर्ण भागीदारी मानव अनुभव का सार है। इस तरह की भागीदारी के अवसर की समानता का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित है और विकलांग लोगों सहित सभी लोगों पर लागू होना चाहिए। हकीकत में, हालांकि, विकलांग व्यक्तियों को अक्सर उस सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली की गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, जिसका वे एक हिस्सा हैं। यह अभाव भौतिक और सामाजिक बाधाओं के माध्यम से आता है जो अज्ञानता, उदासीनता और भय से विकसित हुए हैं।

दृष्टिकोण और व्यवहार अक्सर अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं। लोग विकलांग लोगों के साथ संपर्क और व्यक्तिगत संबंधों से बचते हैं। विकलांग व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह और भेदभाव की व्यापकता और जिस हद तक उन्हें सामान्य सामाजिक संभोग से बाहर रखा गया है, उनमें से कई के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं।[26]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

बहुत बार पेशेवर और अन्य सेवा कर्मी जिनके साथ विकलांग व्यक्ति संपर्क में आते हैं, विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामान्य सामाजिक अनुभवों में भागीदारी की क्षमता की सराहना करने में विफल रहते हैं और इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों और अन्य सामाजिक समूहों के एकीकरण में योगदान नहीं करते हैं।

इन बाधाओं के कारण, विकलांग व्यक्तियों के लिए दूसरों के साथ घनिष्ठ और घनिष्ठ संबंध रखना अक्सर कठिन या असंभव होता है। विवाह और पितृत्व अक्सर उन लोगों के लिए अप्राप्य होते हैं जिन्हें "विकलांग" के रूप में पहचाना जाता है, भले ही उन्हें रोकने के लिए कोई कार्यात्मक सीमा न हो। यौन साझेदारी सहित व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के लिए मानसिक रूप से विकलांग लोगों की ज़रूरतों को अब तेजी से पहचाना जाने लगा है।

कई विकलांग व्यक्ति न केवल अपने समुदायों के सामान्य सामाजिक जीवन से बाहर हैं बल्कि वास्तव में संस्थानों में ही सीमित हैं। जबकि अतीत की कोढ़ी कॉलोनियों को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और बड़े संस्थान उतने नहीं हैं जितने एक बार थे, बहुत से लोग आज भी संस्थागत हैं जब उनकी स्थिति में इसे सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है।[27]

कई विकलांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर के लिए बहुत संकीर्ण दरवाजे के कारण समाज में सक्रिय भागीदारी से बाहर रखा गया है; ऐसी सीढ़ियाँ जो इमारतों, बसों, ट्रेनों और विमानों की ओर नहीं जा सकतीं; टेलीफोन और लाइट स्विच जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता; स्वच्छता सुविधाएं जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह उन्हें अन्य प्रकार की बाधाओं से बाहर रखा जा सकता है, उदाहरण के लिए मौखिक संचार जो श्रवण बाधित लोगों की जरूरतों को अनदेखा करता है और लिखित जानकारी जो नेत्रहीनों की जरूरतों को अनदेखा करती है। ऐसी बाधाएं अज्ञानता और चिंता की कमी का परिणाम हैं; वे इस तथ्य के बावजूद मौजूद हैं कि उनमें से अधिकांश को सावधानीपूर्वक योजना बनाकर बिना किसी बड़ी कीमत के टाला जा सकता है। हालांकि कुछ देशों ने इस तरह की बाधाओं को खत्म करने के लिए कानून बनाए हैं और सार्वजनिक शिक्षा के अभियान शुरू किए हैं, समस्या एक महत्वपूर्ण बनी हुई है।

आम तौर पर, विकलांगता की रोकथाम, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण के लिए मौजूदा सेवाओं, सुविधाओं और सामाजिक कार्यों को सरकारों और समाज की इच्छा और संसाधनों को आवंटित करने की क्षमता से निकटता से जोड़ा जाता है। वंचित आबादी समूहों के लिए आय और सेवाएं।[28]

विकलांगता और एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

विकसित से विकासशील देशों को संसाधनों और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, जैसा कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर परिकल्पित है, साथ ही विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अन्य प्रावधान, यदि लागू किए जाते हैं, तो इन देशों के लोगों के लिए लाभकारी होंगे। , विकलांग सहित। विकासशील देशों, विशेष रूप से उनके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थितियों में सुधार, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता के उपायों का समर्थन करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा। उपयुक्त तकनीक का हस्तांतरण, यदि ठीक से प्रबंधित किया जाता है, तो शारीरिक, मानसिक या संवेदी हानि के प्रभावों से निपटने के लिए उपकरणों और सहायक उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में विशेषज्ञता वाले उद्योगों का विकास हो सकता है।[29]

तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक 8 के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति में कहा गया है कि विकलांगों को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और इसलिए रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। इसके लिए सकारात्मक कार्रवाई विकास के लिए सभी मानव संसाधनों को जुटाने के अधिक सामान्य प्रयास का हिस्सा होगी। वंचित आबादी समूहों द्वारा पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू परिवर्तनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास के परिणाम

जिस हद तक विकास के प्रयास बेहतर पोषण, शिक्षा, आवास, बेहतर स्वच्छता की स्थिति और पर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल लाने में सफल होते हैं, हानि को रोकने और विकलांगता के इलाज की संभावनाओं में काफी सुधार होता है। इन पंक्तियों के साथ प्रगति भी विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में सुगम हो सकती है जैसे:

- सामाजिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और व्यावसायिक पुनर्वास जैसे सामान्य क्षेत्रों में कर्मियों का प्रशिक्षण;[30]
- विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक उपकरणों और उपकरणों के स्थानीय उत्पादन के लिए बढ़ी हुई क्षमता;

- राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तरों पर पारस्परिक सहायता के लिए सामाजिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, सहकारी समितियों और कार्यक्रमों की स्थापना;
- उपयुक्त व्यावसायिक मार्गदर्शन और कार्य तैयारी सेवाओं के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

चूंकि आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार और वितरण में परिवर्तन, जीवन शैली में संशोधन और सामाजिक संरचनाओं और संबंधों में परिवर्तन की ओर जाता है, इसलिए मानव समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं में आम तौर पर सुधार नहीं किया जा रहा है और तेजी से विस्तार किया जा रहा है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बीच इस तरह के असंतुलन विकलांग व्यक्तियों को उनके समुदायों में एकीकृत करने की कठिनाइयों को बढ़ाते हैं।[31]

निष्कर्ष

मस्तिष्क का विकास मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यदि किसी के जीवन में बुद्धिहीनता या मंदता आ जावे तो यह उसके जीवन की सभी चुनौतियाँ दिगुणित हो जाती हैं। शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालग्रह जबलपुर (म.प्र.) ने मानसिक मंद बालक – बालिकाओं के पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार, स्वरोजगार को लेकर एक संकल्प हाथ में लिया । इसी के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित इस संस्था की स्थापना 01/12/1981 को की गई । "मानसिक मंदता के कारण यह बच्चे समाज के लिए अनुपयोगी हैं" इस तथ्य को "मानसिक रूप से अविकसित बालग्रह" इस विचार को सैद्धांतिक रूप से खारिज करती है। मानसिक मंद बच्चों को किसी की दया की दरकार नहीं है। दरअसल समाज का यही नजरिया बदलने की जरूरत है। इन मानसिक मंद बच्चों को यह संस्था विशिष्ट मानते हुए शिक्षण- प्रशिक्षण ,हस्तकला, व्यवसाय कला, कौशल विकास, रिक्रियेशनल, प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाने का नया रास्ता दिखा रही है। विशिष्ट बच्चों की पहचान प्रतिभा खोजना, उन्हें सम्मानपूर्वक मंच देना, उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास की जिम्मेदारी लेना बालग्रह कर्मियों का मुख्य उद्देश्य है । एक कोशिश है, कि यह परिवार, परिवेश ,समाज और राष्ट्र स्तर पर इन्हे सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यवसायिक स्तर पर नई पहचान मिल सके और समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बन सके । विशिष्ट बालको की यह शासकीय संस्था अपनी मंजिल की राह खुद बनाना चाहता है और उसमें पूरे समाज का आत्मीय सहयोग चाहिए। इसी सकारात्मक भाव से अपने सामर्थ से मानसिक मंद बच्चों के जीवन को निखारने की , संवारने की राह प्रशस्त कर रहे हैं। 1981 से संचालित इस विशिष्ट बालक / बालिकाओं (एम.आर.) की विशेष प्रशिक्षण में विशिष्ट बदलाव भी आये । 2012 से इन्हे विशेष शिक्षा हेतु प्रथम बार विशेष शिक्षक (एम.आर.) विभाग द्वारा मुहैया कराया गया। मध्य प्रदेश के 9 संभाग में से 7 मानसिक मंद शासकीय शालाये में स्थापित हैं। जहां विशेष शिक्षक (एम.आर.) अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर नगर मध्यप्रदेश का संभागीय मुख्यालय है, जिसका प्राचीन और समृद्धशाली इतिहास रहा है कथित है, कि जाबालि ऋषि की तपोभूमि होने के साथ ही नगर का नाम जबलपुर पड़ा है। संस्कृत के प्रमुख रचनाकार राजशेखर की यह कर्मभूमि रही है । आध्यात्मिक चिंतन महर्षि महेश योगी, ओशो के विचारों का उन्मेष भी यही हुआ। हिंदी के व्याकराणाचार्य कामता प्रसाद गुरु, कवि केशव भवानी प्रसाद मिश्र और हरिशंकर परसाई जैसी साहित्यिक विभूतिया इसी नगर की रही है । नर्मदा नदी के किनारे स्थित जबलपुर प्राकृतिक दृष्टि से सुरम्य और विविधतापूर्ण है। संगमरमरी वादियो के लिये विश्व प्रसिध्द भेडाघाट की मनोहारी छटा देखते ही बनती है । जबलपुर के 200 -300 किमी की परिधि मे वन सम्पदा का प्रसार है। वन्य जीवन के विविध आयाम कान्हा, बान्धवगढ पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानो मे परिलक्षित होता है । जबलपुर हमेशा से मध्य प्रदेश ने सांस्क्रतिक केन्द्र के रूप मे प्रसिध्द छटा है । इसलिए विनोबा भावे ने इसे सस्कारधानी कहा है ।

वर्तमान और आगामी रणनीति

• व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास "आत्म निर्भरता का प्रशिक्षण देना,ताकि समाज मे उचित स्थान पा सके। इसके लिये सामाजिक विकास विषय पर विशेष प्रषिक्षण ।

• दक्षता विकसित करने के लिए वर्तमान में छात्रों को कैंडल मेकिंग, प्रशिक्षण सुविधाओं को समृद्ध करना और रोजगारोन्मुख दृष्टि से लागू करना।

• कला प्रतिभाओं को व्यवसाय के रूप में रूपांतरित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। संगीत, नृत्य ,योगाभ्यास व खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से सृजन् कला का विकास करना।

उपलब्ध सुविधाये

विशेष शिक्षा – एमआरसीएच के विशेष शिक्षको (एम. आर.) द्वारा 6 -18 वर्ष के छात्रो को विशेष शिक्षक विशेष तकनीक, विशेष मैथड, विशेष उपकरणो की सहायता से दी जाती है ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

संदर्भ

1. यह संकल्प संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़ A/37/51, महासभा के आधिकारिक रिकॉर्ड, सैंतीसवें सत्र के पूरक संख्या 51 (अभिलेखीय PDF) में निहित है।
2. इम्पेरमेंट्स, डिसएबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स (ICIDH), विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा, 1980 का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण।
3. महासभा संकल्प 2200 ए (XXI)
4. महासभा संकल्प 2856 (XXVI)।
5. महासभा संकल्प 3447 (XXX)।
6. महासभा संकल्प 2542 (XXIV)।
7. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ ए/36/766।
8. महासभा संकल्प 35/56।
9. 16 मार्च 1982 का संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ IYDP/SYMP/L.2/Rev.1
10. ए/आरईएस/351/जोड़ें। 1
11. ए/आरईएस/351/जोड़ें। 1/संशोधित।
12. फ्रांसिस, लेस्ली; सिल्वर, अनीता (1 अक्टूबर, 2016)। "विकलांगता" के अर्थ पर परिप्रेक्ष्य" । एएमए जर्नल ऑफ एथिक्स । 18 (10): 1025-1033। डीओआई : 10.1001/जर्नलोफेथिक्स.2016.18.10 .pfor2-1610 । आईएसएसएन 2376-6980 । पीएमआईडी 27780027 ।
13. ↑ संकल्प / महासभा द्वारा अपनाया गया, ए/आरईएस/61/106 । संयुक्त राष्ट्र महासभा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन। 24 जनवरी 2007। [27 दिसंबर 2020 को एक्सेस किया गया]
14. ^ मूर, माइकल (जनवरी 2015)। "विकलांगों के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण (2015)" । infidels.org । सेक्युलर वेब। मूल से 4 मई, 2020 को पुरालेखित । 30 अप्रैल, 2020 को पुनःप्राप्त ।
15. ^ ब्राउन, रॉबिन (1994)। फ्लोरिडा के पहले लोग: मानव इतिहास के 12,000 वर्ष । पी। 25. आईएसबीएन 1-56164-032-8.
16. ^ मिलानिच, जेराल्ड टी। (1994)। Precolumbian फ्लोरिडा का पुरातत्व । पी। 75. आईएसबीएन 0-8130-1273-2.
17. ^ काप्रिसी, गोखन (28 दिसंबर, 2018)। "इनसाइट्स फ्रॉम सुमेरियन मिथोलॉजी: द मिथ ऑफ़ एनकी एंड निनमा एंड द हिस्ट्री ऑफ़ डिसएबिलिटी" । तारिह İncelemeleri Dergisi । 33 (2): 429–450। डीओआई : 10.18513/egetid.502714 । आईएसएसएन 0257-4152 । एस2सीआईडी 165868664 .
18. ^ लोएब्ल, डब्ल्यूवाई; नून, जेएफ (अगस्त 1997)। "प्राचीन मिस्र और फिलिस्तीन में चलने वाले सहायक के रूप में कर्मचारी" । रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन का जर्नल । 90 (8): 450-454। डीओआई : 10.1177/014107689709000811 । आईएसएसएन 0141-0768 । पीएमसी 1296463 । पीएमआईडी 9307002 ।
19. ^ स्नीड, डेबी (अगस्त 2020)। "पहुंच की वास्तुकला: प्राचीन यूनानी उपचार अभयारण्यों में रैंप" । पुरातनता । 94 (376): 1015–1029। डीओआई : 10.15184/एक्यूवाई.2020.123 . आईएसएसएन 0003-598X ।
20. ^ गेगेल, लौरा (22 जुलाई, 2020)। "प्राचीन यूनानियों ने कुछ मंदिरों पर 'विकलांगता रैंप' बनाए होंगे" । लाइवसाइंस । मूल से 29 जुलाई, 2020 को पुरालेखित । 7 अगस्त, 2020 को पुनःप्राप्त ।
21. ^ समामा, एवलिन (2016)। पुरातनता में विकलांगता । रूटलेज। आईएसबीएन 9781315625287.
22. ^ ब्रैडॉक, डेविड, और सुसान पैरिश, "एन इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ़ डिसएबिलिटी," इनहैंडबुक ऑफ़ डिसएबिलिटी स्टडीज़, एड। गैरी अल्ब्रेक्ट, कैथरीन सीलमैन, और माइकल बरी (थाउज़ेंड ओक्स, कैलिफ़ोर्निया: सेज, 2001)।
23. ^ स्टिकर, हेनरी (2000)। विकलांगता का इतिहास । एन आर्बर, मिशिगन: मिशिगन विश्वविद्यालय प्रेस। पी। 91.
24. ^ फौकॉल्ट, मिशेल (1980)। कामुकता का इतिहास, वॉल्यूम। 1 । न्यूयॉर्क: विंटेज।
25. ^ डेविस, लेनार्ड। "सामान्य स्थिति का निर्माण।" इन एनफोर्सिंग नॉर्मलसी: डिसएबिलिटी, डेफनेस एंड द बॉडी (न्यूयॉर्क: वर्सो, 1995), पीपी। 23-49।
26. ^ बोगडान, रॉबर्ट (1998)। फ्रीक शो: मनोरंजन और लाभ के लिए मानवीय विषमताओं को प्रस्तुत करना ।
27. ^ बार्लो, कैथलीन (2006)। "इनब्रीडिंग, अनाचार, और अनाचार निषेध: सदी के मोड़ पर ज्ञान की स्थिति"। अमेरिकी मानवविज्ञानी । 108 (2): 447-48। डीओई : 10.1525/एए.2006.108.2.447 ।
28. ^ रसेल, मार्टा (2019)। पूंजीवाद और विकलांगता । आईएसबीएन 9781608467198.
29. ^ ओलिवर 1990 ।
30. ^ शेक्सपियर, टॉम। "विकलांगता का सामाजिक मॉडल।" डिसएबिलिटी स्टडीज रीडर में, एड। लेनार्ड डेविस (न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2006, दूसरा संस्करण), 197-204।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

31. ^ मुलानी, क्लेयर (13 अप्रैल, 2019)। "विकलांगता अध्ययन: नींव और प्रमुख अवधारणाएँ"। जेएसटीओआर डेली। 8 अक्टूबर, 2022 कोपुनःप्राप्त।

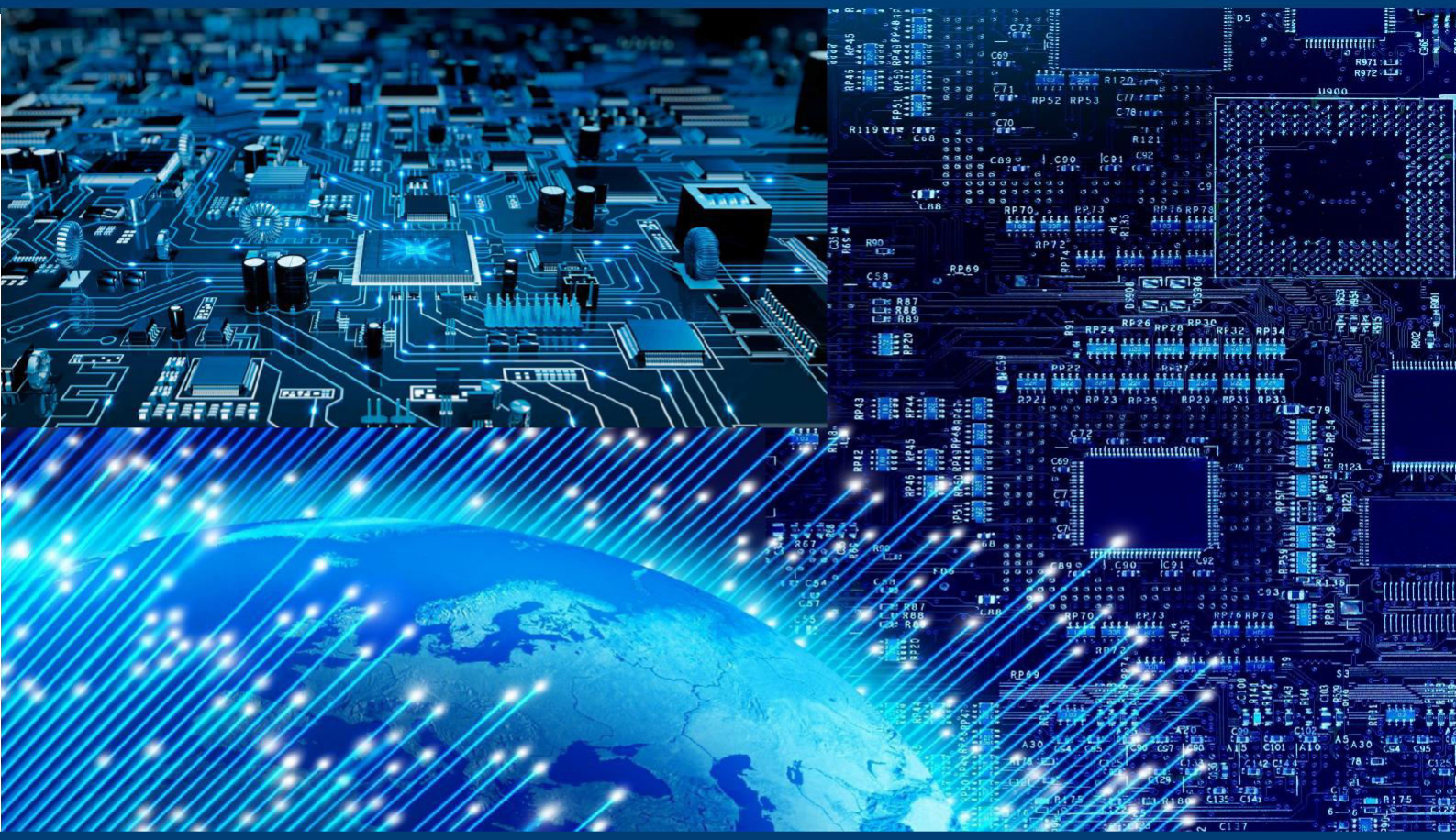

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |